भारतीय अर्थव्यवस्था : दूसरी पीढ़ी के सुधारों की अनिवार्यता*

के.सी. चक्रवर्ती

डॉ. सुरेश कोटक, अध्यक्ष, कोटक एंड कंपनी लिमिटेड, डॉ. जे. फडनीस, प्राचार्य, विवेकानंद शिक्षा समिति कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, श्री बी.एल. बूलानी, प्रभारी न्यासी, डॉ. सुनीति नागपुरकर, अर्थशास्त्र की विभागाध्यक्ष और सेमीनार की संयोजक, श्रीमती दीप्ता दासगुप्ता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी पुरानी मित्र, सेमीनार में भाग ले रहे संकाय सदस्य और विद्यार्थियो, देवियो और सज्जनो। आज के सेमीनार को संबोधित करने के लिए बुलाया जाना सचमुच में मेरे लिए बहुत खुशी और सम्मान की बात है। वित्तीय बाजार के अनिश्चित परिवेश के बीच वित्तीय विनायामकीय संरचना के बदलते हुए रूप को देखते हुए यह सेमीनार बहुत प्रासंगिक है। वित्तीय संकट के समय उभर कर सामने आई वैश्विक वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों से निपटने के लिए मानक तय करने वाली संस्थाओं और राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा नए विनियामकीय ढांचे को तैयार किए जाने के कारण वर्तमान में वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस पृष्ठभूमि के साथ, मुझे प्रसन्नता है कि विवेकानंद शिक्षा समिति इस विषय पर राज्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन कर रही है।

2. विवेकानंद शिक्षा समिति ने शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत 1962 में की थी और आज यह 18000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रही है जिसके अंतर्गत प्राथमिक शाला से लेकर प्रबंध, कानून, अभियांत्रिकी, विज्ञान आदि जैसे विविधतापूर्ण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है। 'उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की कोशिश' के उद्देश्य के साथ यह समिति गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का महान कार्य कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस समिति और महाविद्यालय की स्थापना विशेष रूप से आबादी के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी क्योंकि शिक्षा इन वंचित वर्गों को जीवन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करती है। मैं, समिति को 50 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देता हूं और इस अवधि में प्राप्त उपलब्धियों के लिए इसकी सराहना करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी यह समिति अपने बढ़िया कार्यों को जारी रखेगी।

3. मुझे यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की सभा में बातचीत करने में हमें उन विषयों से अलग विषयों पर चर्चा करने का मौका मिलता है जिन पर हम अपने वित्तीय पेशेवरों से संपर्क होने पर सामान्यतः बात करते हैं। साथ ही, शिक्षकों से बातचीत करने पर हमें एक ऐसा मंच मिल जाता है जिसके जरिए हम अपने विचारों को काफी अधिक श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं जिनमें युवा लोग शामिल होते हैं जो कि आने वाले वर्षों में देश और वित्तीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करेंगे। इसलिए आज यहां होना मेरे लिए और भी अधिक खुशी की बात है।

स्वामी विवेकानंद - स्वयं एक महान सुधारक थे

4. विवेकानंद शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती समारोह की पूर्वसंध्या पर स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम पर इस महाविद्यालय का नाम रखा गया है और जिनसे प्रेरणा प्राप्त हुई है, को स्मरण करना उचित होगा। स्वामी विवेकानंद भारत के महान चिंतक और सुधारक थे जिन्होंने समाज के लिए शिक्षा के नए मॉडल की परिकल्पना की। शिक्षा पर उनके बहुमूल्य विचार आज भी उपयुक्त और व्यवहार्य हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है 'शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है'। उन्होंने कहा है 'सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसके माध्यम से चरित्र निर्माण हो, दिमागी शक्ति की वृद्धि हो, बौद्धिकता का विकास हो और जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पांवों पर खड़ा हो सके'। उन्होंने सिखाया कि जनसामान्य का विकास सिर्फ शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि, स्वामी विवेकानंद शिक्षा की जिस योजना के माध्यम से एक सशक्त देश का निर्माण करना चाहते थे, जिसके द्वारा विश्व शांति और सौहार्द्र का विकास हो, वह आज भी बहुत दूर की बात है। आज इस बात की अधिक आवश्यकता है कि हम उनके शिक्षा दर्शन पर गंभीरता से विचार करें और सभी के लिए उनकी पुकार 'उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए' को याद रखें।

---

* विवेकानंद शिक्षा समिति के कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, मुंबई के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 14 सितंबर 2012 को आयोजित राज्य स्तरीय सेमीनार के उद्घाटन सत्र में डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का संबोधन। इस भाषण को तैयार करने में श्रीमती रेखा मिश्रा एवं श्री एस.एम. लोकारे से साभार सहयोग प्राप्त हुआ।

मैं उम्मीद करता हूं कि यह समिति स्वामी विवेकानंद के इस स्वप्न का अनुकरण करती है।

5. नए भारत के निर्माण में स्वामीजी का सर्वाधिक अनुपम योगदान गरीब जनता के प्रति भारतीयों को कर्तव्यों का बोध कराना था। वह भारत के ऐसे प्रथम धार्मिक नेता थे जिन्होंने यह समझा और खुलकर घोषित किया कि भारत की समस्याओं का मूल कारण जन साधारण की उपेक्षा करना था। भारत में कार्ल मार्क्स के विचारों के ज्ञात होने के बहुत पहले ही स्वामीजी ने देश की दौलत के उत्पादन में श्रमिक वर्ग की भूमिका के बारे में चर्चा की थी।

6. यह उल्लेख करने के बाद मैं भारत में वित्तीय जगत के सुधारों के क्षेत्र में वापस आना चाहूंगा। जैसा कि आपमें से बहुतों को पता है, पिछले दो दशकों में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में बहुत से सुधार हुए हैं। हालांकि, ये सुधार व्यापक थे इनका लक्ष्य समष्टि स्तर पर था और संस्था के आंतरिक स्तर में इनका लागू होना शेष था। इस प्रकार से दूसरी पीढ़ी के सुधार समय की मांग हैं। हालांकि, सिर्फ वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से स्थायी समृद्धि नहीं आएगी। असल में वास्तविक क्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए और इसे वास्तविक क्षेत्र के विकास के साथ तालमेल बनाना होगा।

वित्तीय क्षेत्र का विनियमन क्यों ?

7. सहज ज्ञान के आधार पर, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का कारोबार अन्य कारोबारों से भिन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां अन्य कारोबार अपनी स्वयं की निधि से कार्य करते हैं वहीं बैंक बहुत अधिक लीवरेज वाली संस्था होते हैं जो कि जनता के पैसे से कार्य करते हैं और इसलिए इनके सघन विनियमन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। साथ ही, अन्य कारोबारों में प्रवेश की बाधाएं न होने के कारण दक्षता सुनिश्चित करने और ग्राहकों से समुचित व्यवहार की उम्मीद स्वतंत्र बाजार की प्रतिस्पर्धा से की जा सकती है जबकि बैंकिंग कारोबार में प्रवेश की उच्च बाधाएं होने के कारण लाइसेंस के बिना बैंकिंग गतिविधियां नहीं की जा सकती। ऐसा होने के कारण प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियां स्वतंत्र ढंग से कार्य नहीं कर सकती और इसलिए विशेष रूप से ग्राहकों के संरक्षण के लिए मजबूत विनियामकीय ढांचे का होना और अधिक आवश्यक हो जाता है। बैंकिंग और वित्त के कारोबार में सेवा प्रदाता और ग्राहकों के बीच में स्वाभाविक रूप से असमानता होती है और इसके कारण नियमों और प्रक्रियाओं के ढांचे की आवश्यकता होती है जिसे हम विनियमन कह सकते हैं।

8. आर्थिक निष्पादन में वित्तीय क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इसकी स्थिति को सरकारी नीति में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण को महत्त्व इसीलिए प्राप्त है क्योंकि ये वित्तीय प्रणाली का ठीक दिशा में कार्य करना सुनिश्चित करते हैं। प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय विनियमन का प्राथमिक रूप से न्यायोचित कारण प्रणालीगत जोखिम को रोकना, वित्तीय संकट को टालना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा जमाकर्ताओं और बैंकों के बीच सूचना की भिन्नता को कम करना होता है। चूंकि वित्तीय संकट से बहुत अधिक नुकसान होने की आशंका होती है, इसलिए प्राधिकारियों ने यह महसूस किया कि किसी भी कीमत पर संकट को टालना ही होगा। परिणामस्वरुप, सभी स्थानों पर बैंकों का विनियमन किया जाने लगा। साथ ही, वित्तीय विनियम का प्रयास वित्तीय प्रणाली में दक्षता को बढ़ाना और व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना भी होता है। बहुत से देशों के अनुभवों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रभावी विनियमन सभी संबंधित लोगों के हित में होता है किंतु यह नहीं माना जा सकता कि ‘सभी के लिए एक समान विनियमन’ उपयोगी हो सकते हैं। फिर भी यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उचित विनियमनकारी प्रणाली से वित्तीय संस्थाओं को तो लाभ अवश्य होता है किंतु इस बात के अधिक साक्ष्य नहीं हैं कि विनियमनकारी अधिकारों के होने से संस्थाएं और अधिक मजबूत बनी हों और उन पर आघातों की आशंका कम हो गई हो। वित्तीय प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए न ही कोई विशिष्ट सैद्धांतिक मॉडल है और न ही कोई एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। वित्तीय प्रणाली के विनियमन के विभिन्न मॉडलों के अस्तित्व में होने के कारण आदर्श मॉडल का चयन करना कठिन हो जाता है।

9. भारत में वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली के अधिकांश हिस्से का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने पिछले पांच दशकों में कठिन राह को पार किया है तथा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के बड़े, मध्यम और छोटे तथा बहुत छोटे उधारकर्ताओं की ओर से विरोधाभाषी और प्रतिस्पर्धी मांगों को संतुलित करने का प्रयास किया है। बैंकिंग प्रणाली की गतिविधियों को शुरू में कड़ाई से विनियमित किया जाता था और उनकी आजादी प्रतिबंधित थी। इसने घरेलू तनावों और बाहरी आघातों का भी सामना किया। किंतु, बैंकिंग प्रणाली को नवोन्मेष की आजादी प्रदान करने के लिए उसे प्रतिबंधित परिचालनात्मक परिवेश से बाहर लाना सुनिश्चित करने के लिए विनियमन में समय के साथ परिवर्तन किया गया है।

10. हाल के वर्षों में लिखतों और प्रक्रियाओं के नवोन्मेष, तकनीक के विकास और वित्तीय प्रणाली की मध्यस्थता के कारण बढ़ती हुई पूंजी ने विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना आवश्यक कर दिया है। वित्तीय क्षेत्र में विविधतापूर्ण और प्रभावी उपस्थिति वाले बहुत से सहभागियों ने वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यवेक्षण और विनियमन के विस्तार को आवश्यक कर दिया है। हाल के वर्षों में व्यष्टि-विनियमनों के स्थान पर समष्टि प्रबंध को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है जिसे विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने और वित्तीय प्रणाली की कार्यप्रणाली में सुधार के माध्यम से सहायता दी जाती है।

11. वैश्विक संकट के बाद से केंद्रीय बैंकों को 'प्रणालीगत निगरानी' और 'समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमन' -दोनों के लिए और अधिक जिम्मेदारी सौंपने की प्रवृत्ति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। विनियामकों और सार्वजनिक संस्थाओं के मध्य अपेक्षित कार्य को पूरा कर सकने की केंद्रीय बैंकों की क्षमता को देखते हुए यह महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। केंद्रीय बैंकों के पास समष्टि आर्थिक विश्लेषण के लिए मजबूत ढांचा उपलब्ध है और भारत में बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के व्यष्टि -विवेकसम्मत पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी रिज़र्व बैंक के पास है। परिणामस्वरूप, जहां एक ओर समष्टि आर्थिक विश्लेषण से सूक्ष्म-विवेकसम्मत पर्यवेक्षण को मजबूत करने में मदद मिली है, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए संकलित पर्यवेक्षी सूचना से और अधिक उचित समष्टि आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता मिली है।

12. भारतीय रिज़र्व बैंक बाजारों के विकास में बहुत गंभीरता से शामिल रहा है और यह बाजार की प्रवृत्तियों के अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच और विश्लेषण करता है। केंद्रीय बैंकों के प्रणालीगत जोखिम के विनियामक होने का एक और कारण उनका अंतिम ऋण दाता होना है। इसके अलावा, चुनौती की जटिल प्रकृति के मद्देनजर प्रणालीगत जोखिम के मूल्यांकन के लिए क्षमता और समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमों को काफी मजबूत बनाना रिज़र्व बैंक के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होगा।

समष्टिआर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के सुधार

13. समष्टि आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया स्वरूप जुलाई 1991 में स्थिरता और संरचनात्मक समायोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसके तहत व्यापक सुधार के उपाय किए गए जिसमें व्यापार, विनिमय दर प्रबंध, उद्योग, लोक वित्त और वित्तीय क्षेत्रों को शामिल किया गया। समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए तत्काल उपायों के अंतर्गत राजकोषीय सुधार, विनिमय दर समायोजन, मौद्रिक लक्ष्य और मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए उपाय किए गए। इन उपायों को औद्योगिक विनियमन को शिथिल करने, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उदार बनाने, सार्वजनिक उद्यमों में सुधार करने और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों जैसे संरचनात्मक सुधारों से सहयोग मिला। आर्थिक सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू और विदेशी -दोनों क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता को पुनः स्थापित करने के अलावा निवेश के बढ़े हुए स्तर और उत्पादकता, दक्षता तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार के माध्यम से विकास के उच्चतर स्तर को प्राप्त करना भी था। संरचनात्मक सुधारों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था का पुनर्विन्यास करके उसे एक केंद्र से निर्देशित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजारोन्मुख बनाना था ताकि और अधिक दक्षता और संवृद्धि लाई जा सके। ऐसा, उत्तरोत्तर आंतरिक विनियमन कम करने के साथ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा प्रोत्साहित बाहरी प्रतिस्पर्धा और व्यापार उदारीकरण की सहायता से और अधिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की सहायता से किया गया।

14. सुधार उपायों का क्षेत्रीय पहलू भी रहा। 1991 की औद्योगिक नीति से प्रारंभ कर देखें तो औद्योगिक क्षेत्र के सुधार लाने का उद्देश्य संसाधनों के वितरण में व्यवस्था को ठीक करना और भारतीय उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना था। सुधार के उपायों के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग को हटाना, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम करना, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली (एमआरटीपी) अधिनियम 1969 के तहत निवेश और विस्तार की बंदिशों को हटाना, विदेशी निवेश का स्व-अनुमोदन, मध्यवर्ती और पूंजीगत सामानों से मात्रात्मक आयात बंदिशों को हटाना और रक्षात्मक सीमा शुल्क में लगातार कमी करना शामिल थे। इन उपायों से उद्योगों को बढ़ती हुई घरेलू और विदेशी मांग को पूरा करने के लिए अपनी तकनीक को उन्नत करने के लिए सहयोगी वातावरण तैयार करने में मदद मिली। कृषि क्षेत्र के लिए भी बहुत से नीतिगत उपाय किए गए। इन उपायों में अन्य बातों के अलावा मात्रात्मक नियंत्रण को शुल्कों के माध्यम से प्रतिस्थापित करना, उर्वरक के मूल्यों को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त करना, कृषि विपणन संबंधी बाधाओं को हटाना, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 की बंदिशों को शिथिल करना, के मार्गावरोधों संबंधी बाधाओं नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रतिस्थापित करना और ग्रामीण आधारभूत संरचना

विकास निधि की स्थापना करना शामिल हैं। इसके आलावा, मूल्य सुधारों के कारण व्यापार के कृषि से संबंध में सुधार हुआ। विनिमय दर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुधारों से भी कृषि के प्रेरक ढांचे में सुधार हुआ।

15. विशेष रूप से 1990 के दशक से वित्तीय बाजारों के विकास और सुधार के लिए बहुत से कदम उठाए गए। वित्तीय बाजारों के विभिन्न हिस्सों जैसे कि , मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियां और विदेशी विनिमय बाजारों में स्तरबद्ध, श्रेणीबद्ध और सावधानी पूर्वक सुधार प्रारंभ किए गए जो कि वास्तविक अर्थव्यवस्था के अन्य बाजारों के अनुरूप थे। बाजार के मूलभूत ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता, तकनीक और बाजार के प्रतिभागियों की क्षमता तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्रमिकता को लगातार सूचित किया गया है। 1990 के दशक के प्रारंभ में भारत में हुए संरचनागत सुधारों की शुरुआत में वित्तीय बाजारों के चरणबद्ध समन्वित विनियमन और उदारता शामिल थे। 1990 के दशक की प्रारंभिक अवधि के पहले भारत के वित्तीय बाजार में प्रशासित ब्याज दरों, मात्रात्मक सीमाओं, वैधानिक पूर्वाधिकार, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए आरक्षित बाजार, केंद्रीय बैंक से वित्त पोषण पर बहुत अधिक निर्भरता, नियंत्रित विनिमय दरें और चालू तथा पूंजी खाते में बंदिशों की भरमार थी। विभिन्न सुधारों के परिणामस्वरूप वित्तीय बाजार एक ऐसे दौर में आ गया है जिसकी विशेषताओं में बाजार-नियंत्रित ब्याज और विनिमय दरें, मौद्रिक नीति के मूल्य-आधारित लिखत, चालू खाता परिवर्तनीयता, चरणबद्ध पूंजीखाता उदारीकरण और सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी पर आधारित प्रणाली शामिल हैं। दक्षता संवर्धन के साथ ही प्रणाली में अस्थिरता को टालना भारत में विनियामकों के लिए चुनौती रही है। वित्तीय बाजार के विकास और विनियमन के लिए इस दृष्टिकोण ने बाजार में और अधिक आघात सहनीयता उत्पन्न कर दी है। भारत के सुधार कार्यक्रम का अर्थव्यवस्था पर अतीत की तुलना में निश्चित रूप से सकारात्मक और महत्त्वपूर्ण असर हुआ है।

हिस्सेदार कौन हैं ?

16. सुधारों की पूरी प्रक्रिया के हिस्सेदार स्वयं ग्राहक हैं। ग्राहकों के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करने में विनियामकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है और इसे सिर्फ बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। तत्पर, प्रभावी और विनम्र ग्राहक सेवाओं की शुरुआत सही नज़रिये से होती है। शीर्ष प्रबंध तंत्र से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक में सही नज़रिये का मूल रूप से बदला जाना ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए पहला कदम है। सेवा उद्योग, विशेष रूप से बैंक में जहां पर दस्तावेज, शर्तें, प्रथाएं और परंपरागत तरीके ग्राहक के खिलाफ रहे हैं, में प्रभावी ग्राहक सेवा के लिए संवाद मूल बात होती है। बहुत से क्षेत्रों और अलग-अलग देशों में कीमत विनियामक तय करते हैं। किंतु भारत में वित्तीय विनियामक ऐसा नहीं करता। इसलिए जो भी प्रभार लगाए जाते हों, यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभार उचित हों और मूल्यन न्याय संगत, पारदर्शी और गैर-विभेदकारी हो। वैश्विक रूप से, ग्राहकों के प्रति न्याय संगत व्यवहार के क्षेत्र में विनियामकों से और अधिक कड़े विनियमों को प्रारंभ करने की उम्मीद होती है। बैंकों को अपने उत्पादों और सेवाओं के मूल्यों को न्याय संगत ढंग से और प्रतिस्पर्धात्मक रूप निर्धारित करना चाहिए तथा उनके उत्पादों और मूल्यन के बारे में और अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उत्पादों और सेवाओं को तैयार करने और मूल्यन में पारदर्शिता की कमी तथा उन्हें अनुचित ग्राहकों को बेचने से बैंकों को मुकदमेबाजी तथा प्रतिष्ठात्मक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही उन पर पर्यवेक्षी कार्रवाई भी की जा सकती है। ग्राहक के सामने बिक्री-पश्चात उत्पाद के अथवा बैंक को बदलने में कोई अवांछित बाधा नहीं होनी चाहिए। उचित और आवश्यकतानुसार उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में ग्राहक को शिक्षित करना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है और भारतीय बैंक संघ इस संबंध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकता है। इस प्रकार बैंकिंग कारोबार को अपने सभी क्षेत्रों में सच्चे अर्थों में ग्राहक-केंद्रित होना होगा।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार - आगे क्या ?

17. वित्तीय क्षेत्र सुधार में अब तक भारत के आग्रह के पीछे मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए, जो कि मजबूत आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, संवृद्धि और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में वित्त की भूमिका को बढ़ाना रहा है। सुधार लाने पर दक्षता और स्थिरता के लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बाजारों के विकास को प्रोत्साहित किया है और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को बेहतर तरीके से संपादित किए जाने की सुविधा के लिए आधारभूत विधिक संरचना को मजबूत बनाया है। इसके अलावा, नीतिगत चर्चाओं में तीन क्षेत्रों, नामतः दीर्घावधि कॉर्पोरेट बांड बाजारों, बेहतर मूल्य की खोज और जोखिम अंतरण के लिए डेरिवेटिव बाजारों तथा

और अधिक विदेशी प्रतिभागिता की अनुमति देकर अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का महत्त्व जारी रहेगा।

18. वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अनुभव की गई समस्याओं के बाद विश्व भर में वित्तीय प्रणाली के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस संबंध में जी-20, आईएमएफ, बीआईएस और एफएसबी जैसी बहुपक्षीय और मानक निर्धारित करने वाली संस्थाओं ने ऐसे किसी संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्नत विनियामकीय ढांचा तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए वैश्विक वित्तीय संकट से मिले सबक के आधार पर विनियामकीय भूलों को ठीक करना संसार भर में विनियामकों के लिए बड़ी चुनौती होगी। वित्तीय स्थिरता विनियमन के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली अधिकांश चुनौतियों की उत्पत्ति प्रणालीगत जोखिम के आकलन से जुड़ी जटिलताओं, परस्पर संबद्धता, एक समान निवेश, जटिल नवोन्मेषी उत्पादों में जोखिम बढ़ने और प्रबंध के लिए मॉडलों का प्रयोग तथा मूल्य जोखिम जो कभी-कभी सूचना को प्रकट हाने से रोकते हैं, से होने वाली है।

19. जहां भारत का वित्तीय क्षेत्र वैश्विक आघात का सामना करने में समर्थ रहा है, वहीं ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें स्थिरता को प्रोत्साहित करने और वास्तविक अर्थव्यवस्था में विकास की शुरुआत करने के लिए सुधार किए जाने की आवश्यकता है। हलचलपूर्ण वैश्विक वित्तीय माहौल को देखते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बढ़ती जटिलताओं और उनके कारोबार से जुड़े जोखिम का सामना करना होगा। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत आधार पर स्थापित करने और वित्तीय और आर्थिक तनावों को सहन करने योग्य बनाने तथा विवेकसम्मत साहसी जोखिम लेने की उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक कड़े पूंजीगत और चलनिधि मानकों, जोखिम प्रबंध की उन्नत प्रथाओं और प्रतिपूर्ति प्रथाओं की मजबूती जैसे नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता है।

20. साथ ही, जहां भारत में समष्टि स्तर पर व्यापक संस्थागत सुधार किए जा चुके हैं, वहीं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में आंतरिक सुधार किए जाने शेष हैं। इस प्रकार, दूसरी पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं की लागत को कम करना, ऋण प्रदान करने की कार्य प्रणाली को मजबूत बनाना, ग्राहक सेवा में सुधार करना, मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली में सुधार करना और अभी तक बैंक रहित रहे क्षेत्र में वित्तीय आउटरीच को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

दूसरी पीढ़ी के सुधार

21. मैं दूसरी पीढ़ी के इन सुधारों में से कुछ की चर्चा करना चाहूंगा।

(i) जोखिम प्रबंध की उन्नत प्रथाओं को अपनाना

22. मैं आर्थिक प्रबंधन के जिस मूलभूत सिद्धांत पर जोर देना चाहता हूं वह है जोखिम और प्रतिलाभ में प्रत्यक्ष संबंध। जिस भी निवेश से ज्यादा प्रतिलाभ मिलता हो उसमें अनिवार्य रूप से अधिक जोखिम होता है। इसी प्रकार से यदि आप जोखिम लेना टालते हैं तो प्रतिलाभ ऋणात्मक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बैंक जोखिम लेने के कारोबार में होते हैं इसलिए उनसे बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। बैंक और उस क्षेत्र के पेशेवर लोगों को निम्नलिखित चार मूल बातों का विकास करने की आवश्यकता है :

- जोखिम को समझना
- जोखिम को परिभाषित करना
- जोखिम को मापना
- जोखिम को नियंत्रित करना

वित्त जगत में पदार्पण करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी सलाह है कि जहां कहीं उक्त चार आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकें तो जोखिम कभी भी न लें।

23. वैश्विक रूप से, जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत के बैंकों ने जोखिम प्रबंध के उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने में प्रगति की है। फिर भी, बैंकों को इस दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना है। चूंकि पूंजी प्राप्त करने में हमेशा लागत चुकानी पड़ती है इसलिए बैंकों को उत्पादों और सेवाओं के जोखिम मूल्यन को न्यायोचित और भिन्नता युक्त रखने की जरूरत है। इसमें लागत निर्धारण, प्रत्येक उत्पाद और सेवा से प्राप्त होने वाले राजस्व का मात्रात्मक आकलन और दक्ष अंतरण मूल्यन तंत्र शामिल होते हैं जो पूंजी के वितरण को निर्धारित करेंगे। उद्यम की प्रत्येक कारोबारी इकाई को समग्र जोखिम-प्रतिलाभ ढांचे के अंतर्गत लाभ का केंद्र बनने का लक्ष्य रखना होगा। संक्षेप में इसका तात्पर्य लाभ के लिए जवाबदेही होगी जो अच्छे प्रशासन की गहरी अंतःस्थापित संस्कृति के अंतर्गत जोखिम-प्रतिलाभ के अनुशासन से प्रभावित होगी। पूर्व का हमारा अनुभव कम बचत करने का रहा है जिसमें अमीर उधारकर्ताओं को लाभ मिलता है। जोखिम

का अनियंत्रित रूप से गलत मूल्यन करने की घटनाएं भी हुई हैं। कारोबारी दृष्टिकोण से आस्तियों का मूल्यन गैर-विभेदकारी और ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार होना चाहिए। अपेक्षाकृत कम रेटिंग वाले ग्राहक को अधिक रेटिंग वाले ग्राहक की तुलना में बेहतर मूल्य नहीं मिलना चाहिए। एक बार इन मूल मुद्दों का समाधान हो जाए तो उन्नत प्रणालियों को अपनाने आदि जैसे अन्य मुद्दों को महत्त्व प्राप्त होने लगेगा।

24. जहां सभी भारतीय बैंकों ने बासेल 2009 ढांचे के तहत मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है वहीं उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने की गति स्वभाविक रूप से बहुत मंद रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्नत प्रणालियों को लागू करने के लिए सांकेतिक समय सूची निर्धारित की है किंतु अभी तक की प्रतिक्रिया उत्साह जनक नहीं रही है। अपेक्षाकृत बड़े बैंकों के लिए उन्नत प्रणालियों को अपनाना अधिक महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें जोखिम प्रबंध की अधिक परिष्कृत प्रणाली को अपनाया जाना शामिल है। इसके अलावा, मानकीकृत प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले बड़े बैंकों के लिए ये विषय प्रतिष्ठा से जुड़े भी होते हैं। इन मूलभूत मुद्दों के अलावा इस निष्क्रियता के लिए बैंकों के अंदर मानव संसाधन के विकास के गुणों का विकास, तकनीकी उन्नयन, शाखाओं की अंतर्निर्भरता, ऐतिहासिक आंकड़ों की उपलब्धता और प्रबंधन, जोखिम प्रबंध प्रणाली की मजबूती आदि संबंधी कमियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रिज़र्व बैंक के अंदर भी पर्यवेक्षकों को मात्रात्मक तकनीकों और मॉडलों से संबद्ध बारीकियों को समझने के लिए बहुत तेजी से काम करना होगा।

25. बासेल III सुधार पैकेज का उद्देश्य वित्तीय और आर्थिक तनावों से उत्पन्न तनावों, उनकी उत्पत्ति चाहे कहीं से भी हुई हो, को झेलने की बैंकिंग क्षेत्र की योग्यता को बढ़ाना और इस प्रकार, वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था में आने वाले प्रभाव के जोखिम को कम करना है। बासेल III के अंतर्गत भारतीय बैंकों की पूंजी जरूरतों के एक आकलन से पता चला है कि कुछ विशेष बैंकों के मामलों को छोड़ दिया जाए तो यह प्रणाली पूंजीगत रूप से सक्षम है और समग्र रूप से पूंजी पर्याप्तता के संशोधित नियमों, टियर I के घटकों अथवा इक्विटी घटकों के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। पूंजीगत संरक्षण बफर और विनियामकीय कटौतियों सहित बासेल III की पूंजी पर्याप्तता जरूरतों की शुरुआत 1 जनवरी 2013 से होगी और इसका पूर्ण रूप से अनुपालन 31 मार्च 2018 तक किया जाएगा जो कि बासेल III नियमों द्वारा निर्धारित समय-सीमा (1 जनवरी 2019) से पहले हो जाएगा।

(ii) मानव संसाधन प्रबंध में सुधार करना

26. मानव संसाधनों की उत्पादकता और दक्षता में सुधार करना अति आवश्यक है। कोई भी संगठन उसके लोगों की तरह ही अच्छा हो सकता है। उन्हीं के बल पर नवोन्मेष, कारोबारी प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण और सफलता या विफलता का निर्धारण होता है। मानव संसाधन यदि समर्पित और उच्च मनोबल वाला हो तो ग्राहकों को आकर्षित कर उनसे कारोबारी संबंध बनाए रखा जा सकता है क्योंकि बैंकिंग लोगों से जुड़ा हुआ कारोबार है। बैंकों को ज्ञानयुक्त संगठन होना चाहिए जो प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके और उन्हें अपने साथ बनाए रख सके। मानव संसाधन नीतियां उचित आकार, उचित नियोजन और पेशे में उचित संवृद्धि वाली होनी चाहिए जो बाजार से संबद्ध संरचना के अनुरूप हों। उचित प्रकार की प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा तेज होने वाली है क्योंकि उनकी उपलब्धता कम होगी। दक्ष मानव संसाधन की मांग सिर्फ घरेलू संस्थाओं से ही नहीं बल्कि विदेशी संस्थाओं/देशों से भी उत्पन्न होने वाली है यह सिर्फ बैंकिंग उद्योग से नहीं किंतु दूसरे वित्तीय/गैर-वित्तीय क्षेत्रों से भी उभरने वाली है। इसलिए भारतीय बैंकों के समक्ष चुनौती यह है कि सही प्रतिभा को अपने साथ लेकर स्वयं को अधिक सक्षम करें, प्रशिक्षण में निवेश करें और उनके मूल स्वभाव में सक्रिय परिवर्तन लाएं।

(iii) प्रौद्योगिकी का और अधिक ग्राहक केंद्रित होना

27. अधिकांश बैंक पहले से ही कोर बैंकिंग प्रणाली के अनुसार काम कर रहे हैं जिसके अंतर्गत जमा, आहरण, ऋण वितरण, बैक-ऑफिस परिचालनों आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य आते हैं। बैंकों को कोर बैंकिंग से आगे जाकर प्रौद्योगिकी का लाभ लेने की आवश्यकता है। कोर बैंकिंग प्रणाली से ग्राहकों से संबंधित डाटाबेस के आधार पर जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकती है। इससे उत्पादों की डिलीवरी की योजना बनाने और चुनिंदा बहुसंख्य डिलीवरी केंद्रों पर सेवाएं प्रदान करने, ग्राहक संबंधों के बेहतर प्रबंध और ग्राहकों से दीर्घकालिक संबंध बनाने में मदद मिलेगी उनके लाभ में काफी वृद्धि होगी। प्रौद्योगिकी को नियोक्ता या वेंडर की तुलना में ग्राहक पर अधिक केंद्रित होने की आवश्यकता है। कोई मशीनी गड़बड़ी हो जाने पर उसमें तुरंत सुधार किया जाना चाहिए ताकि प्रणाली में भरोसा और विश्वास बना रहे। इस काम में जो बैंक अधिक कुशल और नवोन्मेषी होंगे वही अग्रणी बने रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, गवर्नेंस और लेखा परीक्षा जैसे उससे संबद्ध मुद्दे भी प्रकट होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में होने वाली

चूक से बैंकों पर डाटा पाइरेसी, धोखेबाजी और परिचालनगत जोखिम का खतरा हो सकता है जिससे प्रतिष्ठा जोखिम बढ़ता है और ग्राहक विश्वास में कमी आती है।

(iv) प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) और सूचना साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना

28. प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) बैंकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बैंकों की पूंजीगत योजना, कारोबारी रणनीतियां, लक्ष्य की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा के साथ ही साथ जहां कहीं आवश्यक हो वहां में सुधार करने के लिए कदम उठाना, तनाव परीक्षण के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि करने और महत्त्वपूर्ण रूप से उनके परिणामों पर कार्रवाई करने के लिए आंकड़ों की शुद्धता और समयबद्धता बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। इस प्रकार, हमें निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकीय सहयोग की आवश्यकता होती है। बैंकों ने प्रौद्योगिकी पर भारी निवेश किया है जिसका उपयोग निर्णय लेने की सहयोगी प्रणाली के माध्यम से प्रबंध सूचना प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए और किफायती, वहन करने योग्य और जरूरत के अनुसार तैयार किए गए ग्राहक केंद्रित बैंकिंग उपाय के रूप में उसके प्रतिफलों से लाभ मिलाना चाहिए। प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अपने आप में उद्देश्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उद्देश्य प्राप्त करने के एक साधन की तरह देखा जाना चाहिए।

(v) कारोबारी रणनीति और विजन

29. संभावित प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अगले दशक में बैंकों के बोर्डों की भूमिका अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण हो जाएगी। बोर्ड के पास बैंक के संबंध में स्पष्ट विजन, इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि -दोनों रणनीतियां और सुव्यवस्थित दीर्घावधि योजना होना आवश्यक होगा। बैंकों को अपने वर्तमान ग्राहकों और बड़ी कंपनियों के आगे जाकर बड़ी संख्या में छोटे, खुदरा और लघु और मध्यम उद्यमी उन ग्राहकों तक पहुंचना होगा जो वर्तमान में बैंक ऋण से वंचित हैं। बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के अलावा बैंकों को ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता होगी। उनके पास उचित कारोबारी मॉडल और डिलीवरी मॉडल होने की जरूरत है।

(vi) बैंक रहित/अल्प बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों तक पहुंचना

30. भारत में नियोजन प्रक्रिया के प्रारंभ से ही समता युक्त संवृद्धि प्रमुख लक्ष्य रहा है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य उन लोगों को वहन करने योग्य कीमत पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं। यह बात दीर्घावधि समतायुक्त विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश में संस्थाओं के विशाल ढांचे की मौजूदगी के बावजूद हाउसहोल्ड/क्षेत्रों के बड़े हिस्से को मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अधिक बचत को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों से वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। इसके लिए बैंकिंग प्रणाली की और अधिक पैठ बढ़ानी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन पर जोर देना समय के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पांडेंट संबंध को मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी। साथ ही इन क्षेत्रों में ऋण की गुणवत्ता को बनाए रखने और ऋण की संवृद्धि को बनाए रखने के लिए जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंध क्षमताओं को बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। बैंक सुविधा रहित जन समूहों को लाभ पहुंचाने के अलावा इससे बैंक के वित्तीय समावेशन उपायों की व्यवहार्यता और उन्हें मापने की योग्यता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(vii) बैंकिंग सेवाओं की लागत को कम करना

31. बैंकिंग सेवाओं की लागत में और कमी लाने के लिए उत्पादों की दिशा, डिलीवरी की बेहतर व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होगी। बैंकिंग लेनदेन की लागत को बहुत कम किए जाने की जरूरत है जैसा कि तकनीकी विकास के बाद टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में हुआ है। यह देखा गया है कि बैंकिंग में लेनदेन की लागत उच्च बनी हुई है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में ऐसा देखा गया है जिसके अंतर्गत उधारकर्ता के मूल्यांकन, प्रक्रिया, प्रलेखीकरण और प्रभारों के वितरण, ऋण की निगरानी/पर्यवेक्षण और उसका संकलन शामिल है। कृषकों को वहन करने योग्य लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऐसी लेनदेन लागत को कम किया जाना अनिवार्य है।

वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को संतुलित करना

32. सिर्फ वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के जरिए निरंतर समृद्धि नही आ पाएगी। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि में कमी के बहुत से साक्ष्य दिखाई दिए हैं। उच्च वृद्धि के स्तर को बनाए रखने के लिए वास्तविक क्षेत्र में सुधारों के द्वारा निवेश के माहौल में सुधार करने और समाहित करने की क्षमता को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण होगा।

उद्यमियों/निवेशकों और बचत करने वालों के बीच में मध्यस्थ के रूप में सुविकसित वित्तीय क्षेत्र की अनिवार्यता के तथ्य को शायद ही अत्युक्ति कहा जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र दक्ष होने से वस्तुओं और सेवाओं को तैयार करने और उनके व्यापार की लागत और जोखिम कम हो जाते हैं और इस प्रकार से रहन-सहन के स्तर को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलता है। हालांकि हाल के संकट से ऐसा दिखाई दिया है कि वित्तीय क्षेत्र ने वास्तविक अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण की आवश्यकताओं से करीबी संबंध रखे बिना स्पष्ट रूप से एक अर्द्ध-स्वायत्त रूप ग्रहण कर लिया है। वित्तीय उद्योग का आकार पिछले वर्षों में सचमुच बहुत बढ़ गया है जिससे ऋणों का तेजी से सृजन, आस्तियों के मूल्य में अस्थायी वृद्धि और ऋणग्रस्तता के उच्च स्तर का पता चलता है। ऐसा विशेष रूप से उन्नत वित्तीय प्रणालियों में देखा गया है। वैश्विक वित्तीय जगत में असमान वृद्धि होने का मुख्य कारण लाभ के लिए किए गए अति महत्वाकांक्षी प्रयास थे जो कि वैश्विक प्रणाली में चलनिधि की सुलभता के कारण उत्पन्न हुए थे और इससे अनेक वित्तीय नवोन्मेष हुए। स्ट्रक्चरिंग और हैजिंग, उद्गम और वितरण के माध्यम से जटिल वित्तीय उत्पाद इस धारणा के तहत तैयार किए गए कि विशुद्ध वित्तीय इंजीनियरिंग के माध्यम से वास्तविक मूल्यों को उत्पन्न किया जा सकता है। बढ़ते हुए और उत्तरोत्तर जटिल हो रहे वित्तीय क्षेत्र के कारण पूंजी निर्माण में वृद्धि के कोई संकेत दिखाई नहीं दिए।

33. अन्य वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में वित्तीय क्षेत्र में अधिक तेजी से विकास हुआ है। यह विकास कुछ इस तरह से हुआ कि वित्तीय वृद्धि खुद एक लक्ष्य बन गई और यह भोजन, ईंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन नहीं रह गई। बहुत बड़े आकार वाले वित्तीय क्षेत्र के टूट जाने से वास्तविक क्षेत्र पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों के मद्देनजर यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि (i) संवृद्धि और विकास की आवश्यकताओं की तुलना में वित्तीय क्षेत्र के बृहत्तर संभाव्य आकार की जांच की जाए (ii) वास्तविक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नवोन्मेषों को अधिक सार्थक बनाया जाए।

34. उच्च वृद्धि को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और सेवाओं के क्षेत्र में सुधार करें। मैं इन सुधारों के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा।

कृषिगत अभिशासन और उत्पादकता में सुधार करना

35. कृषि के विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयुक्त उपयोग के साथ ही आपूर्ति के प्रतिसाद और संसाधनों के बेहतर प्रयोग को प्रोत्साहित करने सहित भूमि से संबंधित संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। कृषि पर लोगों की बड़े पैमाने पर निर्भरता को देखते हुए, अधिक उत्पादन तथा फसलों की विविधता के माध्यम से कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने का महत्त्व बढ़ जाता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ाया जाना और अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों का सहयोग बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभी तक नीतिगत ध्यान आपूर्ति प्रतिक्रियाओं और सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निवेश करने के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रयोग पर केंद्रित रहा है। कृषिगत पण्यों के लिए बाजार की संरचना में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यन, वेयरहाउस सुविधाओं को बढ़ाना और शहरी बाजारों से बेहतर संपर्क के लिए ग्रामीण सड़कों में सुधार करना सुनिश्चित किया जा सके। कृषि की उत्पादकता और आउटपुट को बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन महत्त्वपूर्ण होगा जिसमें जल संरक्षण पर अधिक जोर दिया जाए।

विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन सुधारना

36. प्रतिस्पर्धात्मक माहौल और बढ़ते संरक्षणवाद के जोखिम के चलते विनिर्माण क्षेत्र के निष्पादन को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशाल घरेलू बाजार, कुशल श्रम शक्ति की प्रचुर उपलब्धता और सबसे तेजी से बढ़ने वाले एशियाई बाजारों के समीप होने की लाभकर स्थिति होने के बाद भी उत्पादकता वृद्धि को चीन सहित एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के स्तर पर लाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए गुणवत्ता पर अधिक जोर देने, प्रौद्योगिकी को बेहतर ढंग से अपनाने, श्रम कानूनों को और अधिक लचीला बनाने, आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय सुधार करने और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सहयोगी नीतिगत माहौल बनाने की आवश्यकता है। उद्योग और शिक्षा के बीच संबंधों को काफी मजबूत बनाना होगा। बिजली की आपूर्ति में बार-बार आने वाली बाधाएं एवं मांग की स्थिरता की कमी भी विनिर्माण क्षेत्र के निष्पादन को प्रभावित करते हैं।

सेवा क्षेत्र की क्षमताओं को काम में लाना

37. पिछले कुछ समय में सेवा क्षेत्र की उच्च वृद्धि और आघात सहनीयता के बाद भी लंबे समय तक दीर्घकालिक वृद्धि के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी सेवाओं जिनमें भारत तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति है, में नीतिगत अस्पष्टता मुख्य बात रही है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता के बावजूद इसमें बहुत से विनियमन लागू हैं। इसी तरह से शिक्षा के मामले में बहुत से विनियमन लागू हैं और विश्वसनीय मान्यता

प्रदान करने की प्रणाली के अभाव में विकास क्षमता बाधित होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विकास और उत्पादकता पर मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के योगदान को देखते हुए उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए वहन करने योग्य लागत पर इन सेवाओं को उपलब्ध कराने को आवश्यक रूप से भारत की विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। भारत में बहुत सी सेवाएं या तो मुख्य रूप से सरकार से संबद्ध हैं अथवा इस प्रकार से उदार नहीं हैं कि संगठित निजी प्रयासों के माध्यम से उनमें विकास सुनिश्चित किया जा सके। पेशेवर, विधिक, डाक, लेखा परीक्षा और बीमा जैसी सेवाओं की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए और अधिक उदारीकरण की आवश्यकता है।

मूलभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) वित्त को सुगम बनाना

38. योजना आयोग के आकलन के अनुसार बारहवीं योजना (2012-17) के दौरान भारत में मूलभूत संरचना के लिए 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है। यह एक बहुत बड़ा वित्तीय दायित्व है। भारत में दूसरे देशों और स्वयं अपनी बढ़ती मांग की जरूरतों दोनों के संबंध में मूलभूत संरचना का अंतर (कमी) निवेश की समग्र उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण रहा है। शुरुआती उच्च पूंजीगत लागत, वो भी दीर्घावधि के लिए, की आवश्यता के कारण मूलभूत संरचना की क्षमता के विकास के लिए वित्तीय बाधाओं को हटाने के उपाय करने की जरूरत है। वित्तपोषण का मामला सिर्फ संभावित संसाधनों की कमी से संबंधित नहीं है बल्कि वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य वित्तपोषण, जो कारोबारी चक्रों के दौरान व्यवहार्य बना रहे, को सुनिश्चित करने से भी संबंधित है। बारहवीं योजना के दौरान मूलभूत संरचना में निवेश को सार्वजनिक और निजी -दोनों क्षेत्रों से पूंजी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। मूलभूत संरचना की कमी को पूरा करने में निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भागीदारी के बाद भी सार्वजनिक निवेश को अभी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ता और पूंजीगत व्ययों के प्रति व्ययों के पुनर्विन्यास की आवश्यकता होगी। दीर्घावधि की मूलभूत संरचना परियोजनाओं की आस्ति-देयताओं के अंतर के बाद भी हाल के वर्षों में इस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में उच्च वृद्धि देखी गई है।

समापन

39. वित्तीय क्षेत्र में पहले दौर के सुधारों की परिणति वित्तीय प्रणाली को मजबूती प्रदान करने और इसे और सक्रिय तथा आघात सहनीय बनाने के रूप में हुई। समय के साथ सुधारों और वृद्धि की गति में कमी आई है और दूसरी पीढ़ी के सुधारों को आवश्यक महसूस किया जा रहा है। इन सुधारों को व्यक्तियों और कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और दक्षता को समग्र रूप से बढ़ाने की दिशा में ध्यान केंद्रित करना होगा।

40. जब तक अर्थव्यवस्था की समाहित करने की क्षमता में वृद्धि न हो, तब तक अकेले वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से अधिक असर नहीं पड़ेगा। देश में समावेशी और दीर्घकालिक विकास लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के पहले वास्तविक क्षेत्र में सुधार किए जाने चाहिए। वित्तीय क्षेत्र में भी आंतरिक संस्थागत सुधारों की महती आवश्यकता है जिसके अंतर्गत विशेष रूप से जोखिम प्रबंध की कार्यप्रणाली में सुधार करने, उधार लेने और ऋण देने -दोनों की लेनदेन लागत कम करने और समग्र रूप से ग्राहक सेवा में सुधार करने पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि वित्तीय प्रणाली के सभी हिस्सेदार अर्थव्यवस्था को वापस उच्च वृद्धि के दायरे में ले जाने के लिए अनिवार्य इन दूसरी पीढ़ी के सुधारों को लागू करने की दिशा में काम करेंगे।

41. विवेकानंद शिक्षा समिति को गौरवपूर्ण 50 वर्ष पूरे करने के लिए मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह समिति आगामी वर्षों में देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम विद्यार्थियों को तैयार करने के प्रयास जारी रखेगी। मैं प्रबंध तंत्र, संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों से भी गुज़ारिश करूंगा कि अपनी गतिविधियों को और अधिक व्यापक करने और समाज तक पहुंचने के लिए स्वयं को पुनःसमर्पित करें ताकि इससे वंचित वर्ग को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने का मार्ग उपलब्ध कराया जा सके। ऐसा होना स्वामी विवेकानंद के संदेश के अनुरूप होगा जिसे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में उनके कार्यों और लेखन के माध्यम से प्रचारित किया।

मैं, सेमीनार में होने वाले विचार-विमर्श की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद।